

**1 अपराधिक प्रकरण क्रमांक 236 / 2003**

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
प्रकरण क्रमांक 236 / 2003 डी०फो०  
संस्थापित दिनांक 19 / 07 / 1994  
फाईलिंग नम्बर 230303000322003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

**बनाम**

1. राजू पुत्र खलक सिंह बाथम उम्र 46 साल  
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम टिहोली पुलिस  
थाना उटीला, जिला ग्वालियर म०प्र०

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—429, 379 एवं 227 भादस)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)  
(आरोपी राजू द्वारा अधिवक्ता—श्री एम.पी.एस.राणा उप०)

**::- निर्णय :-**

(आज दिनांक 20 / 12 / 2016 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 13 / 06 / 94 को शाम करीबन 7:00 बजे वैशाली बांध गोहद में शासन को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित करने, जल में विषाक्त पदार्थ डालकर जल को कलूषित कर अनुपयोगी करने एवं शासन के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से जलाशय में स्थित मछलियों को पकड़कर ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा 429, 277 एवं 379 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15 / 06 / 94 को शाम करीबन साढ़े 4 बजे फरियादी राजेन्द्र कुशवाह द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13 / 06 / 94 को शाम करीबन 7:00 बजे आरोपी राजू एवं दामों द्वारा गोहद जलाशय में मछली मारने के उद्देश्य से कोई जहरीला पदार्थ डालकर जानबूझकर जल खराब कर दिया एवं करीब दो हजार रुपये मूल्य की मछलियाँ मार डाली हैं जिससे शासन को काफी क्षति हुई है। नदी पर मछलियाँ मरी पड़ी है फरियादी द्वारा दिये गये उक्त लेखीय आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप०क०122 / 94 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व

प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी दामों के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 20/09/05 को निर्णय घोषित किया जा चुका है एवं मात्र आरोपी राजू के विरुद्ध विचारण शेष है।

5. द0प्र0स0की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 13/06/94 को शाम करीबन 7:00 बजे वैशली बांध गोहद में शासन को सदोष हानि कारित करने के आशय से जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित की?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर बेईमानीपूर्ण आशय से जलाशय में स्थित मछलियों को ले जाकर चोरी कारित की?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर वैशली बांध के जलाशय में विषाक्त पदार्थ डालकर जल को कलूषित कर अनुपयोगी बनाया?

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मोहर आ0सा01, श्यामबिहारी उफ भम्पाला आ0सा02, एवं शिवराम शर्मा आ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, एवं 3

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी मोहर सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है वह फरियादी राजेन्द्र सिंह को भी नहीं जानता है उसे मछलियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि आरोपीगण ने बांध में जहरीला पदार्थ डाला था जिससे मछलियों मर गई थी एवं सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात की सूचना मछली विभाग को दी थी।

10. साक्षी श्यामबिहारी आ0सा02 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने बांध के पानी में दवाई डालकर मछलियों को मारा था।

11. साक्षी गुड्डू उर्फ कमल आ0सा04 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी05 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी राजू को उसके सामने गिरफ्तार किया गया था।

12. शिवराम शर्मा आ0सा03 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी मोहर सिंह आ0सा01, श्यामबिहारी आ0सा02 एवं गुड्डू उर्फ कमल आ0सा04 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

15. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र सिंह को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी राजेन्द्र सिंह के लेखीय आवेदन के आधार ही पुलिस थाना गोह में आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में साक्षी मोहर सिंह एवं श्यामबिहारी द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह को आरोपीगण के विरुद्ध दिये गये आवेदन के आधार पर फरियादी राजेन्द्र सिंह द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। यद्यपि फरियादी राजेन्द्र सिंह को अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु फरियादी राजेन्द्र सिंह का लेखीय आवेदन अभिलेख में संलग्न है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि उसने साक्षी मोहर सिंह एवं श्यामबिहारी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में लेखीय आवेदन दिया था इस प्रकार फरियादी राजेन्द्र सिंह द्वारा श्यामबिहारी एवं मोहर सिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में लेखीय आवेदन दिया गया था एवं साक्षी मोहर सिंह आ0सा01 तथा श्यामबिहारी आ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उन्होंने आरोपीगण द्वारा बांध में जहरीला पदार्थ डालने की सूचना मत्स्य विभाग को दी थी ऐसी स्थिति में जब कि मोहर सिंह आ0सा01 एवं श्यामबिहारी आ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। यदि अभियोजन द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया भी गया होता तो भी उससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था क्योंकि फरियादी राजेन्द्र सिंह द्वारा साक्षी मोहर सिंह एवं श्यामबिहारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध आवेदन दिया गया था एवं श्यामबिहारी तथा मोहर सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। फलतः फरियादी राजेन्द्र सिंह को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

16. जहां तक विवेचक शिवराम शर्मा आ0सा03 के कथन का प्रश्न है तो शिवराम शर्मा आ0सा03 ने अपने कथन में विवेचना को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुये उक्त साक्षी के कथन का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

17. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में साक्षी मोहर सिंह आ0सा01, श्यामबिहारी आ0सा02, एवं गुड्डू उर्फ कमल आ0सा04 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है विवेचक शिवराम शर्मा आ0सा03 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने वैशाली बांध के जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित की, जल को अनुपयोगी बनाया एवं जलाशय से मछलियों को ले जाकर चोरी कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

18. यह अभियोजन दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 13/06/94 को शाम करीबन 7:00 बजे वैशाली बांध गोहद में शासन को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित की, जल में विषाक्त पदार्थ डालकर जल को कलूषित कर अनुपयोगी किया एवं शासन के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से जलाशय में स्थित मछलियों को पकड़कर ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी राजू को भादस की धारा 429, 277 एवं 379 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

20. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 20/12/2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

न्य जानकारी हेतु प्रति  
कीय / विधिक उपयोग हेतु अ

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम